



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
LABOUR DEPARTMENT HARYANA
श्रम विभाग हरियाणा

उत्पादकता एवं सामाजिक न्याय
 Productivity with Social Justice
 श्रम विभाग, हरियाणा
 शांति, समन्वय एवं सुरक्षा
 Peace, Harmony and Safety

Off.: 30 Bays Building, 1st Floor, Sector 17-B, Chandigarh-16001 (India) Tel: 91(0172)2701337 Fax: 91(0172)2701266
 ऑफिस: 30 बेज बिल्डिंग, प्रथम तल, सेक्टर 17-बी, चण्डीगढ़ - 160017 (भारत) दूरभाष: 91(0172)2701337 फैक्स: 91(0172)2701266

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश पृ० क्रमांक स्था०/2020/5800-5804 दिनांक 04.03.2020 द्वारा श्री अनिल कुमार, रीडर कार्यालय उप श्रम आयुक्त, हिसार को सप्ताह में तीन दिन (सोमवार, मंगलवार व बुधवार) का अधिष्ठाता अधिकारी, श्रम न्यायालय, रोहतक के कार्यालय में दिया गया अतिरिक्त कार्यभार रद्द किया जाता है।

अब श्री जगमिन्द्र, रीडर कार्यालय सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (कैमिकल), पानीपत को अपने कार्य के अतिरिक्त सप्ताह में तीन दिन (सोमवार, मंगलवार व बुधवार) का अधिष्ठाता अधिकारी, श्रम न्यायालय, रोहतक के कार्यालय में अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है। इसके लिये कर्मचारी को अलग से कोई मानदेय नहीं दिया जायेगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

दिनांक: 31.08.2021

पंकज अग्रवाल, आई०ए०एस०
 श्रम आयुक्त, हरियाणा

पृष्ठांकन क्रमांक : स्था/02/2021/20438-44 दिनांक: 21/08/2021

इसकी प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

- 1 अधिष्ठाता अधिकारी, श्रम न्यायालय, रोहतक।
- 2 निजी सचिव, श्रम अयुक्त, हरियाणा।
- 3 उप श्रम आयुक्त, हिसार।
- 4 सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (कैमिकल), पानीपत
- 5 सम्बन्धित कर्मचारी।
- 6 निजी फाईल।


 अधीक्षक (स्था०)

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।